

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय:-सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-316/2017

1. प्राची रोझ पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली हाल आबाद ए-203, करणीनगर, लालगढ जिला बीकानेर।

-वादीया

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमजीत जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली हाल आबाद ए-203 करणीनगर, लालगढ जिला बीकानेर।
2. दक्ष रोझ पुत्र सुरेन्द्रकुमार आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता सुरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली हाल आबाद ए-203, करणीनगर, लालगढ जिला बीकानेर।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अब्दुलसत्तार जोईया वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री रामस्वरूप भादू मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 18 एन.जी.सी. के प.न. 200/260 मु.न. 34 कि.न. 3/2/.139,4/2/.139,5/2/.114,6,7,8/1/.240, 8/2/.013, 13 ता 18, 23, 24, 25 प.न. 201/260 मु.न. 35 कि.न.1/2/.089, 2/2/.063, 3/2/.051, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 6.6670 है0 मय गै0मु0 आराजी में वादिया को 3.3340 है0 आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खाता हाजा में से प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ११.२.१८ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ११.२.१८ को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी